सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 148 राँची, सोमवार, 26 फरवरी, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

19 अप्रैल, 2017

संख्या-06/अभि०(स्था०) स०लो०अभि०-15/60/07(खण्ड-1) 2129-- अभियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड अभियोजन सेवा नियमावली, 2011 का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या-3418, दिनांक 27 अगस्त, 2011 के द्वारा किया गया है । अभियोजक पदों पर नियुक्ति के संबंध में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त नियमावली में कतिपय विन्दुओं पर संशोधन करने का परामर्श दिया गया है । साथ ही कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या-13026, दिनांक 27 जनवरी, 2012, ज्ञपांक-1794, दिनांक 4 अप्रैल, 2017 एवं संकल्प संख्या-2719, दिनांक 24 मई, 2004 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में भी उक्त नियमावली में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो रही है । तदनुसार अधिसूचना संख्या-3418, दिनांक 27 अगस्त, 2011 द्वारा गठित झारखण्ड अभियोजन सेवा नियमावली, 2011 में निम्न संशोधन किया जाता है-

1. नियमावली की कंडिका-02(xi) में वर्णित प्रावधान" अभियोजन पदाधिकरी से अभिप्रेत है-सहायक लोक अभियाजक, अपर लोक अभियोजक, लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक या समकक्ष पद ।" में "या समकक्ष पद को विलोपित किया जाता है ।

2. नियमावली की कंडिका-8 में वर्णित प्रावधान विभाग द्वार प्रत्येक वर्ष जून माह में रिक्ति की गणना प्रारम्भ की जायेगी एवं दिसम्बर माह तक सेवानिवृत होने वाले की गणना की रिक्ति में शामिल की जायेगी । तद्नुसार 31 दिसम्बर तक सेवा निवृत होने की गणना कर दिसम्बर माह में रिक्ति की गणना लोक सेवा आयोग को सूचित कर दिया जायेगा को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

"कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-13026, दिनांक 27 नवम्बर, 2012 के अनुसार विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना की जायेगी ।

3. नियमावली कंडिका-09(ग) में वर्णित प्रावधान " नियुक्ति में संबंधित अन्य शर्ते वही होगी जो राज्य की अन्य समकक्ष सेवाओं के लिए सरकार द्वारा समय समय पर लागू की जायेगी । प्रतियोगिता परिक्षा का स्वरूप अनुसूची-2 में किए गए प्रवधान पाठ्यक्रम के अनुसार होगी । को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

" नियुक्ति मे संबंधित अन्य शर्ते वही होगी जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी । प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप अनुसूची-2 में किए प्रावधान एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होगी ।

4. नियमावली कंडिका-10 (ख) में वर्णित प्रावधान न्यूनतम उम्र सीमा विज्ञापन की तिथि को 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी। को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

"न्यूतम उम्र सीमा विज्ञापर की तिथि को 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा एवं दिव्यांग (निशक्त) व्यक्तियों हेतु उम्र सीमा में छूट वही होगी जो राज्स सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायगी । उम्र निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट अधियाचना वर्ष की 01 अगस्त होगी । वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन (03) वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

5. नियमावली की कंडका-12 में वर्णित प्रावधान आयोग प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के आधार पर कोटिवार मेधा सूचि तैयार करेगी। तैयार की गई सूची में से आयोग उतनी संख्या में कोटिवार अभ्यार्थियों की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा जितनी संख्या में रिक्तिया प्रतिवेदित की गई हों । किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने पर रिक्तिया अग्रणित की जायेगी । को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

" आयोग प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के आधार पर समेकित मेघा सूची तैयार करेगा । तैयारी की गइ्र सूची में से आयोग उतनी संख्या में काटिवार अभ्यर्थियों की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गई हों । किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने पर रिक्तियाँ अग्रणित की जायेगी ।

6. नियमावली के कंडिका-13 में वर्णित प्रावधान आयोग रिक्तियों को भरने के लिये कोटिवार सफल उम्मीदवरों की सूची, मेधा के क्रमानुसार तैयार करेगा । जब दो या दो से अधिी उम्मीदवारों का प्राप्तांक समान हो तो अधिकर उम्र वाले उम्मीदवार कम उम्र वाले उम्मीदवार से वरीय होंगे । इस प्रकार तैयार की गई सूची गृह विभाग झारखण्ड सरकार को नियुक्ति की अनुशंसा के साथ आयोग द्वार उपलब्ध करा दी जायेगी । आयोग की अनुशंसा विभाग में प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी । को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

"आयोग रिक्तियों को भरने के लिये सफल उम्मीदवरों की सूची सेवा मेघा के क्रमानुसार तैयार करेगा । जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक समान हो तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार कम उम्र वाले उम्मीदवार से वरीय होगे । इस प्रकार तैयार की गई सूची गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड राँची को नियुक्ति की अनुशंसा के साथ आयोग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी । आयोग की अनुशंसा विभाग में प्राप्त हाने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी ।

7. नियमावली के कंडिका 14 में वर्णित प्रावधान वरीयता इस तनयमावली के अधीन इस सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यथियों (सहायक लोक अभियोजक) की वरीयता का निर्धारण निम्नांकित परीक्षाओं में अर्जित कुल प्राप्तांको के आधार पर बनाई गई मेघा क्रमानुसार किया जाएगा/होगा ।

(01) आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक ।

(02) प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान में परिक्षण प्राप्ति के उपरांत ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक ।

(03) पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक । को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

वरीयता-इस नियमावलीर के अधीन इस सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गए अभियार्थियों (सहायक लोक अभियोजक) की वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा भेजे गए मेघा सूची के अनुसार होगा ।

8. उक्त नियमावली की कंडिका 16 (ii) के उपरांत निम्न प्रावधान को कंडिका 16 (iii) के रूप में समावेशित किया जाता है। 16 (3) सेवा संपुष्टि के पूर्व राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित किसी एक जनजातीय भाषा की परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

9. नियमावली के कंडिका 18 में वर्णित प्रावधान-

(क) अपर लोक अभियोजक का पद इस सेवा के मूल कोटि (सहायक लोक अभियोजक) के पद से प्रोन्नति द्वारा वरीयता सह योग्यता के आधार पर भरे जायेंगे । प्रोन्नति के प्रस्ताव में

सरकार द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा । विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन/स्वरूप वी होगा जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा सदृष्य सेवाओं के लिए अधिसूचित किया जायेगा । सहायक लोक अभियोजक से अपर लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदंड अनुसूची (iv) में दिए गए उपबंधो के अनुसार होगा ।

(ख) लोक अभियोजन का पद अपर लोक अभियोजन के पद से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा । प्रोन्नति हेतु वरीयता के आधार पर योग्य अपर लोक अभियोजकों की एक सूचि अभियोजन निदेशालय के परार्मश से गृह विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा। यह सूचि कुल रिक्त पदों की संख्या के 1:2 के अनुपात में तैयार की जायेगी । सूची के साथ प्रोन्नति का प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष रखा जाएगा । रिक्तियों के विरूद्ध प्रोन्नति हविभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगा। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन/स्वरूप वही होगा जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा सदृश्य सेवाओं के लिए अधिसूचित किया जायेगा । अपर लोक अभियोजक से लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदंड अनुसूची (iv) में दिए गए उपबंधो के अनुसार होगं को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

18 (क) अपर लोक अभियोजक का पद इस सेवा के मूल कोटि (सहायक लोक अभियोजक) के पद से प्रोन्नति द्वारा वरीयता सह योग्यता के आधार पर भरे जायेंगे। प्रोन्नति के प्रस्ताव मे सरकार द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा । विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन/स्वरूप वही होगा जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। सहायक लोक अभियोक से अपर लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदंड अनुसूची (iv) में दिए गए उपबंधों के अनुसार होगा ।

(ख) लोक अभियोजक का पद अपर लोक अभियोजक के पद से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा । प्रोन्नति हेतु वरीयता के अधार पर योग्य अपर लोक अभियोजक की एक सूचि अभियोजन निदेशालय के परार्मश से गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वरा तैयार किया जायेगा । यह सूची कुल रिक्त पदों की संख्या से 1:2 के अनुपात में तैयार की जायेगी । सूची के साथ प्रोन्नति का प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष रखा जाएगा । रिक्तियों के विरूद्ध समिति का गठन/स्वरूप वही होगा जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। अपर लोक अभियोजक से लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मादंड अनरुसूची (iv) मे दिए गए उपबंधों के अनुसार होगा ।

10. उक्त नियमावली के अनुसूची-II की कंडिका (B) मुख्य परीक्षा में निम्न प्रावधान को कंडिका (ठ) (प) के रूप में समावेशित किया जाता है-

(B) (i) मुख्य परीक्षा में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित 09 क्षैत्रीय भाषाओं मे से किसी एक भाषा की 100 अंकों का परीक्षा हागी जो मूल नियमावली में दर्ज विषयों के अतिरिक्त होगी । इस पत्र का अंक मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नही होगी, परंतु इसमें उतीर्ण करना अनिवार्य होगा । इसके लिए

न्युनतम अर्हतांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प सं०- 13026, दिनांक 27 नवम्बर, 2012 के अनुसार होगा ।

11. उक्त नियमावली के अनुसूची-II की कंडिका-02 में वर्णित लिखित परीक्षा से संबंधित विषकय विवरण विधि विषयों के लिए न्यूनतक अर्हता अंक (Minimum Qualifying Marks) समान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए 40 प्रतिशत होगा । को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

'' विधि विषयों के लिए न्यूनतक अर्हता अंक (Minimum Qualifying Marks) सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (BC-2) के लिए 36.5 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग (BC-1) के लिए 34 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जन जाति एवं महिला वर्ग के लिए 32 प्रतिशत होगा ।

12. नियमावली की कंडिका 7 में वर्णित रिक्तियों में आरक्षण ''भर्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा'' को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

'' भर्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों/रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा । दिव्यांगो के लिए आरक्षण का प्रावधान कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प सं० 7281, दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के अनुरूप होगा । साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों सहित अन्य काटि के आरक्षण नियमों में समय समय पर किये गये संशोधनों मान्य होगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस०के०जी० राहटे,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 148 -- 50